# झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

# विचाराधीन कैदी के अधिकार

**आप एक विचाराधीन कैदी हैं यदि आपको :–**

- आपके मामले की जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध किया गया है, या
- जमानत नहीं दिया गया है और आप अभी भी जेल में है, या
- जमानत दिया गया है लेकिन आप प्रतिभू (स्योरिटी) / जमानत पत्र देने में सक्षम नहीं है।

**आपको जमानत / व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किए जाने का अधिकार है**

(क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत यदि:–

- आप किसी जमानतीय अपराध के अभियुक्त / आरोपी हैं,
- आपको जमानत दिया गया है परन्तु आप प्रतिभू (स्योरिटी) नहीं दे सकते हैं, और
- अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 7 दिनों तक आप हिरासत में हैं।

उदाहरण : आप भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के अभियुक्त है। आपको 1 अप्रैल, 2009 के गिरफ्तार किया गया था और आप जमानत देने में सक्षम नहीं हैं। अपको बिना प्रतिभू (स्योरिटी) के जमानत / व्यक्तिगत बंध पत्र पर 8 अप्रैल, 2009 तक अवश्य रिहा कर दिया जाना चाहिए।

**(ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–अ के अंतर्गत यदि :**

- आप मृत्युदंड दिए जाने जैसे किसी अपराध के अभियुक्त / आरोपी नहीं हैं।
- आपने उस अपराध जिसके अभियुक्त / आरोपी हैं, के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि पूरी कर ली है।

उदाहरण : आप भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत चोरी करने के अभियुक्त / आरोपी है और कारावास में 3 वर्ष या उससे अधिक समय बिता चुके हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–अ के अंतर्गत जमानत / व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किया जाना आपका अधिकार है।

**आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–अ के अंतर्गत रिहा किए जाने पर विचार किया जा सकता है यदि आप :**

- मृत्युदंड दिए जाने जैसे किसी अपराध के अभियुक्त / आरोपी नहीं हैं, और
- उस अपराध जिसके आप अभियुक्त हैं के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की आधी अवधि पूरी कर ली है।

उदाहरण : आप भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत डकैती डालने के आरोपी हैं और आप कारावास में 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष बिता चुके हैं। आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–अ के अंतर्गत जमानता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

**नोट** : जहाँ अधिकतम निर्धारित दंड **आजीवन कारावास** है भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार उसकी आधी अवधि 10 वर्ष की होगी।

**संबंधित न्यायालय लोक अभियोजक की तर्कों को सुनने के बाद :**

- प्रतिभू (स्योरिटी) सहित या प्रतिभू (स्योरिटी) रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किए जाने का आदेश दे सकता है, या
- कारण दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है, या
- कारण को लिखित रिकॉर्ड करने के बाद उस व्यक्ति की कैद को जारी रखने का आदेश दे सकता है।

**नोट : किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक अवधि तक कैद नहीं रखा जा सकता।**

- **जमानतीय अपराध** : दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची या संगत विधि के अंतर्गत जमानतीय दर्शाए गये अपराध। ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार है।
- **प्रतिभू (स्योरिटी)** : किसी वचनबंध को पूरा करने का वचन या किसी अन्य व्यक्ति के ऋण / भूल–चूक को चुकाने का वचन।
- **व्यक्तिगत बंध पत्र** : एक औपचारिक लिखित समझौता जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति कतिपय कृत्य करने / न करने का वचन देता है। इसका अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड किया जा सकता है।

**आप धारा 436 / 436 अ के अंतर्गत जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं :**

- अपने वकील से सम्पर्क कर जमानत के लिए नया आवेदन देकर, या

- यदि आप एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं हैं तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, या
- जेल अधीक्षक से सम्पर्क कर या महानिरीक्षक (कारागार) को पत्र लिखकर।

## दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–अ के अंतर्गत जमानत आवेदन का नमूना

..... न्यायालय

आपराधिक मामला सख्या..... वर्ष.....

राज्य बनाम ..... (अभियुक्त का नाम)

अपराध संख्या ..... अपराध अंतर्गत धारा .....

.....

पुलिस थाना .....

कारावास की आधी अवधि/अधिकतम अवधि पूरी होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के अंतर्गत जमानत देए जाने के लिए आवेदन

आवेदन विनम्र निवेदन करता है :

- यह कि उसे कथित अपराध के लिए पुलिस द्वारा ..... ..... को गिरफ्तार केया गया था।
- यह कि कथित रूप से किए गए अपराध के लिए अधिकतम निर्धारित दंड ..... वर्ष है।
- यह कि उत्तने विचाराधीन के रूप में ..... वर्ष कारावास में बिताए हैं। यह अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित दंड का आधा/अधिकतम है।
- यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436–अ के उपबंधों के अनुसार से जमानत/व्यक्तिगत बंध पत्र संहिता या रहित जमानत पर रिहा किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए/रिहा किया जाना चाहिए।

### प्रार्थना

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सविनय निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय आवेदक को ऐसी शर्तों पर जो माननीय न्यायालय न्याय के हित में उपयुक्त और उचित समझे, जमानत/बंध पत्र पर कृपया रिहा करें।

स्थान : आवेदक जरिए

दिनांक अधिवक्ता/अधीक्षक

..... कारागार

## दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत जमानत आवेदन का नमूना

..... न्यायालय

अपराध मामला संख्या ..... वर्ष .....

राज्य बनाम ..... (अभियुक्त का नाम)

अपराध संख्या ..... अपराध अंतर्गत धारा .....

पुलिस थाना .....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहाई के लिए आवेदन

आवेदक सविनय निवेदन करता है

- यह कि उसे कथित अपराध के लिए ..... तारीख को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
- यह कि कथित अपराध जमानतीय है।
- यह कि जमानत आवेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष ..... को पेश किया गया था और आवेदक को ..... ..... प्रतिभू प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- यह कि वह एक निर्धन व्यक्ति है और वह प्रतेभू राशि नहीं दे सकता है।
- यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के उपबंधों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से एक सप्ताह के अंदर जमानत देने में असनर्थ है तो उसे निर्धन समझना चाहिए और उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंध पत्र निष्पादित करने पर रिहा किया जाना चाहिए।

### प्रार्थना

उपरोक्त के मद्देनजर सविनय निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय कृपया आवेदक को व्यक्तिगत बंध पत्र पर ऐसे शर्तों पर रिहा करें जो माननीय न्यायालय न्याय के हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान : आवेदक जरिए

दिनांक : अधिवक्ता/अधीक्षक

..... कारागार

**यदि आपको अनावश्यक निरूद्ध किया गया है तो आप अपने वकील से तत्काल परामर्श करें या जेल में बंद कोई भी कैदी अपने राज्य के राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अथवा संबंधित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क करें।**


अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

**न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार**

ए0जी0 ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची, फोन : 0651–2431520, 2482392, फैक्स : 0651–2482397

अथवा

**अपने जिले के व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार**